कार्यालय अध्यक्ष वाणिज्य कर अधिकरण उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पंत्राक--वा0क0अधि0 / दस--1(क) / दस--(ग / घ) / परिपत्र / 3330 / 2017लखनऊःदिनांकःअगस्त 23 ,17

समस्त सदस्य,
वाणिज्य कर अधिकरण
अन्तर्गत उत्तर प्रदेश।

कृपया वित्त सामान्य अनुभाग--3 के शासनादेश संख्या--23 / 2017 / सा--3--329 / दस--2017 / 308 / 2016 दिनांक 18.07.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जो वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2016) की संस्तुतियों के संबंध मे राज्य सरकार के निर्णय का कियान्वयन वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशन भोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों आदि की पेंशन का संशोधन किए जाने के सबंध में।

शासनादेश दिनांक 18.07.2017 द्धारा लागू सातवे वेतन आयोग के अन्तर्गत समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्षो को सेवानिवृत्त कार्मिको का वेतन निर्धारण किए जाने के निर्देश दिए गए है। जिसके परिप्रेक्ष्य मे सेवानिवृत्त सरकारी सेवको द्धारा वेतन निर्धारण के प्रार्थना पत्र प्रेषित किए जा रहे है। सेवानिवृत्त सरकारी कार्मिको के अभिलेखो का भली भाति परीक्षण करते हुए नियमानुसार वेतन निर्धारण की कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है।

अतः वाणिज्य कर अधिकरण के अधिष्ठान के अन्तर्गत समस्त पीठ कार्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियो / अधिकारियों का वेतन निर्धारण शासनादेश दिनांक 18.07.2017 मे दी गयी व्यवस्था के अनुसार अपने स्तर से करने का कष्ट करे, तथाा सेवानिवृत्त सदस्यों का वेतन निर्धारण प्रस्ताव मे निदेशक पेंशन निदेशालय लखनऊ को प्रति पृष्ठांकित करते हुए तैयार कर अनुमोदन हेतु मुख्यालय उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

भवदीय

ह0 / 23.08.17
(रेणु अग्रवाल)
प्र0अध्यक्ष,वाणिज्य कर अधिकरण
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि--निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

1-- निबन्धक वाणिज्य कर अधिकरण उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2-- प्रशासनिक अधिकारी मुख्यालय लखनऊ।
3-- पेंशन पटल मुख्यालय।
4-- बेव अधिकारी मुख्यालय।

आज्ञा से

प्र0निबन्धक,वाणिज्य कर अधिकरण
उत्तर प्रदेश लखनऊ।